I/102624/2023

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में मा०राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा वाद सं0 21/2021, डा0 भारत झूनझूनवाला एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेशों दिनांक 16.08.2022 के अनुपालन में टी०एच०डी०सी० द्वारा निर्माणाधीन विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना (444 मेगावाट) की पर्यावरणीय शर्तों एवं प्रश्ननात्मक उपायों के अनुपालन एवं निगरानी हेतु गठित निगरानी सैल की दिनांक 19.01.2023 को सम्पन्न प्रथम बैठक का कार्यवृत्तः–

उपस्थितिः–

1. अपर सचिव(वन एवं पर्यावरण), उत्तराखण्ड शासन।
2. एस०के०पटनायक, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. डा०के०मण्डल, संयुक्त निदेशक, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार।
4. डा०विपिन गुप्ता, साईटिस्ट 'बी', वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार।
5. श्री उदय राज सिंह, परियोजना निदेशक, एस०पी०एम०जी०, इन्दिरा नगर।
6. श्री आर०एन०सिंह, विशेष कार्याधिकारी, वि०पी०एच०ई०पी०, टी०एच०डी०सी०।
7. श्री के०चंद्रशेखर, साइंटिस्ट 'एफ', जी0बी0पन्त राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा।
8. डा०आई०डी०भट्ट, साईटिस्ट 'एफ', जी0बी0पन्त राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा।
9. श्री पी०के०नैथानी, मुख्य महाप्रबंधक, टी०एच०डी०सी०।
10. श्री विपिन थपलियाल, उप महाप्रबंधक, टी०एच०डी०सी०।
11. श्री आयुष वालिया, उप प्रबंधक, टी०एच०डी०सी०।
12. श्री अक्षय कुमार, पर्यावरण विशेषज्ञ, एस०पी०एम०जी०, इन्दिरा नगर।
13. श्री पी०के०जोशी, पर्यावरण वैज्ञानिक, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बैठक का शुभारम्भ किया गया।

2– बैठक में अपर सचिव(वन एवं पर्यावरण), उत्तराखण्ड शासन द्वारा अध्यक्ष महोदय को मा०राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश एवं उसके अनुपालन में गठित निगरानी सैल के अधिदेश से अवगत कराया गया।

Generated from eOffice by SANDEEP SINGH BISHT, ARO-Environment Section-SSB, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Environment Conservation and Climate Chan

I/102624/2023

3— निगरानी सैल के सदस्य सचिव श्री एस०के०पटनायक द्वारा अध्यक्ष महोदय को प्रकरण में कथित जल विद्युत परियोजना के पर्यावरण प्रभाव व आंकलन के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही से अवगत कराया।

4— परियोजना प्रमुख श्री आर०एन०सिंह द्वारा परियोजना की विशिष्ठताओं, प्रगति की अद्यतन स्थिति, पर्यावरणीय स्वीकृति सहित विभिन्न आवश्यक स्वीकृतियों से निम्नानुसार अवगत कराया गयाः—

1. कार्य स्थल पर दिसम्बर, 2022 तक कुल भौतिक प्रगति 62.82 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति 72.69 प्रतिशत है तथा परियोजना को मार्च 2025 तक पूर्ण कर लिये जाने का लक्ष्य है।
2. टी०एच०डी०सी० द्वारा परियोजना में प्रयुक्त की जा रही आधुनिकतम तकनीकी जैसे टी०बी०एम० आदि के प्रयोग से भी निगरानी सैल को अवगत कराया गया।
3. परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से अवगत कराते हुए परियोजना का कार्य दुत गति से चलने की जानकारी दी गयी।

5— टी०एच०डी०सी० से नामित प्रतिनिधि श्री पी०के०नैथानी, मुख्य महाप्रबन्धक द्वारा बैठक हेतु निर्धारित कार्य सूची के क्रम में निम्नानुसार विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गयाः—

1. प्रस्तुतिकरण में सर्वप्रथम मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण प्रबन्ध योजना की लागत को परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक बढ़ा दिये जाने के निर्णय को टी०एच०डी०सी० द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिये जाने से अवगत कराया गया।
2. इसके उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित शर्तों एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियों के दौरान अनुमोदित पर्यावरण प्रबन्धन योजना के अनुपालन में किये गये कार्यों के विवरण एवं प्रगति से निगरानी सैल को अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त 95 प्रतिशत् परियोजना प्रभावितों को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के माध्यम से मुआवजा वितरण किया जा चुका है एवं परियोजना प्रभावित एकमात्र ग्राम हाट के पूर्ण रूप से खाली हो जाने की जानकारी भी साझा की गयी।
3. टी०एच०डी०सी० के अधिकारियो द्वारा बाँध सुरक्षा हेतु परियोजना के डिजाईन में निर्धारित भारतीय मानको, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग, नेशनल कमेटी ऑन सेस्मिक डिजाईन पैरामीटर्स एवं अंर्तराष्ट्रीय नियमों/दिशा—निर्देशों को सुनिश्चित किये जाने हेतु किये गये उपायों एवं प्रावधानों से अवगत कराया गया ।

Generated from eOffice by SANDEEP SINGH BISHT, ARO-Environment Section-SSB, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Environment Conservation and Climate Chan

I/102624/2023

4. यह भी अवगत कराया गया कि परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है, अतः परियोजना के निर्माण में विश्व बैंक के दिशा–निर्देशों एवं मापदंडों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

6– बैठक में विस्तृत चर्चा एवं विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

1. जी०बी०पंत संस्थान के प्रतिनिधियों द्वारा मलवा निस्तारण योजना के अन्तर्गत ढाल स्थिरीकरण हेतु उपाय के रूप में लगायी जा रही वटीवर घास के अतिरिक्त स्थानीय झाडी प्रजातियों जैसे घिंगारू, हिंसालू, निरगुण्डी, किलमोड़ा, किनगोड़ आदि का रोपण करने की अनुसंशा की गयी। जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त प्रजातियों के रोपण हेतु प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
2. जी०बी०पंत संस्थान के प्रतिनिधियों द्वारा पर्यावरणीय कार्यों की बेहतर समझ, निगरानी एवं ज्यादा व्यवहारिक सुझावों के दृष्टिगत् स्थलीय निरीक्षण करने की मंशा जाहिर की गयी। अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव को स्वीकार करते हुए सदस्यों की सुविधा के अनुरूप माह मार्च, 2023 के अंत में किसी समय स्थलीय निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया।
3. एन0एम0सी0जी0 के प्रतिनिधि की अनुसंशा पर नगर पालिका परिषद/पंचायत के माध्यम से किये जा रहे ठोस अपशिष्ट को अंतिम रूप से निस्तारण तक की निगरानी सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
4. अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य सचिव द्वारा परियोजना की हेड–रेस–टनल (एच०आर०टी०) के संरेखण के आस–पास के जल श्रोतों के मापन एवं उनसे होने वाले भुगर्भीय रिसावों, यदि कोई है, का अध्ययन राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी) या कोई अन्य प्रतिष्ठित संस्था से कराये जाने की अपेक्षा की गयी।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त के तहत परियोजना स्थल के दस किलोमीटर के परिक्षेत्र में होने वाले भूगर्भीय परिवर्तनों या आपदाओं के सम्बन्ध में प्रत्येक दो वर्षों में भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान से रिपोर्ट प्राप्त किये जाने एवं आवश्यक होने पर बाँध की सुरक्षा हेतु तद्नुसार प्रबन्ध योजना सुनिश्चित करने पर कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी। जिस पर टी०एच०डी०सी० द्वारा अवगत कराया गया कि भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान से इस हेतु पहले ही अनुरोध किया जा चुका है एवं रिपोर्ट प्राप्त किया जाना अभी शेष है। जिस पर भारतीय भू–वैज्ञानिक

Generated from eOffice by SANDEEP SINGH BISHT, ARO-Environment Section-SSB, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Environment Conservation and Climate Chan

I/102624/2023

सर्वेक्षण संस्थान से सम्पर्क कर जल्द रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि भूस्खलन प्लान तैयार कर उसके अनुरूप ही कार्य किये जाये। तथा CSR गतिविधियों में पर्यावरण/वन संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाये।

6. टी०एच०डी०सी० द्वारा पर्यावरण प्रबंध योजना एवं कैचमेंट क्षेत्र उपचार कार्यों की स्वतंत्र विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा निगरानी किये जाने, परियोजना के पर्यावरणीय कार्यों की प्रमुख वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित बहु–विशेषज्ञीय समिति द्वारा समीक्षा किये जाने एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर कार्यस्थल का निरीक्षण किये जाने से अवगत कराया गया। जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्माण कार्यों की त्रिपक्षीय निगरानी पर स्थिति जाननी चाही। जिस पर अवगत कराया गया कि निर्माण कार्यों का विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुरूप संचालन किया जा रहा है एवं निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की विशेषज्ञ संस्था द्वारा आवश्यकतानुसार यथासमय जाँच की जाती है। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा आगामी बैठक में बाँध की सुरक्षा से सम्बन्धित किसी विशेषज्ञ की उपस्थिति की अपेक्षा की गयी।
7. अध्यक्ष महोदय द्वारा आगामी बैठक में कार्य स्थल पर किये जा रहे कार्यों की वास्तविक स्थिति से अवगत कराये जाने की दृष्टि से जिलाधिकारी चमोली सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों, मुख्य चिकित्साधिकारी–चमोली एवं सम्बन्धित नगर पालिका परिषद/पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को पूर्व से ही सम्बन्धित अधिकारियों को धरातलीय निरीक्षण कर बैठक में विशेष आमंत्री के रूप में ऑन–लाईन उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये।

आगामी बैठक शीघ्र आयोजित की जाये।

बैठक के अंत में अध्यक्ष एवं निगरानी सेल के सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

Signed by Vijay Kumar Yadav
Date: 27-02-2023 10:01:43

(विजय कुमार यादव)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग

Generated from eOffice by SANDEEP SINGH BISHT, ARO-Environment Section-SSB, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Environment Conservation and Climate Chan

I/102624/2023

संख्या–I02624/XXXVIII–1–2023
देहरादूनः दिनांकः– 27 फरवरी, 2023

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निजी सचिव–प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
4. संयुक्त निदेशक, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार।
5. साईटिस्ट 'बी', वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार।
6. परियोजना निदेशक, एस०पी०एम०जी०, इन्दिरा नगर।
7. विशेष कार्याधिकारी, वि०पी०एच०ई०पी०, टी०एच०डी०सी०।
8. साइंटिस्ट 'एफ', जी0बी0पन्त राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा।
9. साईटिस्ट 'एफ', जी0बी0पन्त राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा।
10. मुख्य महाप्रबंधक, टी०एच०डी०सी०।
11. उप महाप्रबंधक, टी०एच०डी०सी०।
12. उप प्रबंधक, टी०एच०डी०सी० इण्डिया लि०।
13. पर्यावरण विशेषज्ञ, एस०पी०एम०जी०, इन्दिरा नगर।
14. पर्यावरण वैज्ञानिक, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Signed by Dharm Singh Meena
Date: 27-02-2023 10:54:39
(धर्म सिंह मीणा)
अपर सचिव।

Generated from eOffice by SANDEEP SINGH BISHT, ARO-Environment Section-SSB, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Environment Conservation and Climate Chan